

महोदयजी

रिपोर्ट पटवारी हल्का - कात्या

निवेदन है कि ग्राम कैलीनियाम के आकाश 32,76 में प्रतीक नाम पुष्पा पुत्री जगारा कुहाट सा देवीनियारा के नाम से एक सिद्धि है। अपर सलेमन दस्तावेज (अधिकांश) के अनुसार पुष्पा के नाम नानी वही दर्ज किया जा रही है। उरि: सलेमन दस्तावेज अनुसार पुष्पा के नाम नानी वही किया जाना उचित है।

रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक वृत्त कात्या

मुलाजिम रिपोर्ट पटवारी व हल्का इलाका का मुलाजिम पुष्पा पुत्री कात्या व नमान नानी वही पुत्री कात्या उरि: सलेमन दस्तावेज कात्या उरि: सलेमन दस्तावेज कात्या

[Signature]
17/12/25

रिपोर्ट तहसीलदार, बिजौलिया

कुमांक राजस्व/कैम्प/अ/25

दिनांक - 19.12.25

महोदय जी

निवेदन है कि रिपोर्ट प. ह. कात्या आंचक. कात्या कात्या व सलेमन दस्तावेज अनुसार जमावदी आकाश 32,76 में पुष्पा के स्थान पर नानी वही दर्ज करने की शफिशका की जाती है।

[Signature]
तहसीलदार
कैम्प कात्या
तहसील बिजौलिया जिला प्रीतवाहा

आदेश

प्रार्थिया स्वयं के प्रार्थना पत्र, सलेमन दस्तावेजों, पटवारी कात्या, प्री. अ. नि. कात्या, तहसीलदार बिजौलिया वी आंच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थिया का नाम पुष्पा के स्थान पर नानी दर्ज करने के आदेश पारित किए जाते हैं।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी

कात्या




राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, विजयपुर
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2025 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान कांसिया

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कांसिया
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार विजयपुर की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-
अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम देवीनारायण तहसील विजयपुर जिला
की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2077 में खाता संख्या 32 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि
निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
(1)	देवीनारायण	32	<u>पुष्पा पुत्री</u> <u>धारा</u>	<u>नानीनार पुत्री</u> <u>धारा</u>



उ
(उज्ज्वल सिंह राठौड़)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, विजयपुर

दिनांक :- 32/25

दिनांक :- 19/12/25

विलिपि :-

1. तहसीलदार, विजयपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री नानीनार पुत्री धारा
3. रक्षित पत्रावली।

को सूचनार्थ।



उ
(उज्ज्वल सिंह राठौड़)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, विजयपुर